न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2455–दो/2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 20–05–2013 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला–टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 173/अपील/2010–11

दयाराम तनय कुट्टू घोषी
निवासी–बिलगॉय तह0 जतारा,
जिला–टीकमगढ़, म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1– महिला गोमती पुत्री कुट्टू घोषी, पत्नी धनीराम घोषी,
निवासी–ग्राम मउ बुजुर्ग, तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0

2– महिला सुखवती पुत्री कुट्टू घोषी पत्नी जयपाल सिंह,
निवासी–ग्राम बछोंड़ा हाल बिलगॉय तह0 जतारा जिला टीकमगढ़

3– गंधर्वसिंह तनय कुट्टू घोषी

4– दुर्गाप्रसाद तनय कुट्टू घोषी
बिलगॉय तह0 जतारा, जिला–टीकमगढ़, म0प्र0

.... अनावेदकगण

....

श्री राजेन्द्र पटेरिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुरेश रजक, अभिभाषक , अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला–टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–05–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि खातेदार कुट्टू पिता राजू घोषी निवासी बिलगॉय की मृत्यु हो जाने पर ग्राम महुआवाग स्थित कुट्टू के खाते व नाम की भूमि पर उसके पुत्रों ग्रंधर्व सिंह, दयाराम एवं दुर्गाप्रसाद का नाम भाग पर दर्ज करने का आदेश नामांतरण पंजी क्र0 34 पर ग्राम पंचायत बिलगॉय के द्वारा दिनांक 17.06.2000 को आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा 10 साल बाद अनुविभागीय अधिकारी जतारा के न्यायालय में धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20. 05.2013 से धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर लिया गया । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा के आलोच्य आदेश दिनांक 20.05.2013 से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा के न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश के करीब 10 साल बाद अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र में जो अपीलार्थी पक्ष द्वारा आधाहीन आधार विलंब के संबंध में बतलाये थे उन पर विश्वास करके जो आदेश पारित किया है वह विधि एवं प्रावधानों के विपरीत है । आवेदक द्वारा जो धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया था उस पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया, वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि धारा 05 म्याद अधिनिमय के आवेदन पत्र में दिन प्रतिदिन का समाधान कारक कारण नहीं था । अपील करीब 10 साल बाद प्रस्तुत की गई थी । माननीय उच्च्य न्यायालय एवं सर्वोच्च्य न्यायालय द्वारा अनेक न्याय दृष्टांतों में स्पष्ट व्यवस्था प्रदान की गई है कि यदि दिन–प्रतिदिन के विलंब माफ नहीं किया जा सकता है । आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय इस बात को भी पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा नामांतरण पंजी के 10 साल बाद अपील प्रस्तुत की थी तथा जो धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उसमें विलंब का दिन–प्रतिदिन का समाधान कारक कारण नहीं बतलाया था, ऐसी स्थिति में अपील समय सीमा के भीतर मानने का आदेश पारित करना विधि एवं न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल है । अंत में आवेदक

के अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । विचारण न्यायाय द्वारा वैध उत्तराधिकारियों को कोई सूचना देने का प्रमाण नहीं होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब में छूट देते हुए प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया । आवेदक ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है कि विचारण न्यायालय ने सुनवाई का अवसर अनावेदकों को दिया था । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकों की अपील को विलम्ब क्षमा कर सुनवाई के लिए ग्राह्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अनुविभागीय अधिकारी की कार्यवाही पूरी तरह विधिपूर्ण है । आवेदक द्वारा उठाए गए तर्क आधारहीन होने से निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर